

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी-07

दिनांक: 01/1/10

कार्यवाही विवरण

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 89 वी बैठक दिनांक 21.12.2009 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत् निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	88.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 88 वी बैठक दिनांक 30.11.2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के किरान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 88 वी बैठक दिनांक 30.11.2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं किरान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
2.	89.2	भूखण्ड संख्या-1, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के ध्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक के प्रतिनिधि को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. आवेदक को तीसरे बेसमेंट के निर्माण की बिना अनुमति का शास्ति भवन विनियम नियमबद्धता/ नियमतिकरण नियम 1989 के अनुसार लिये जाने हेतु सूचित किया जावे।2. निर्माणाधीन भवन के भवन सर्वप्रथम 30.0 मीटर ऊँचाई के अनुमोदित किये गये थे एवं राज्य सरकार द्वारा भी 30.0 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने की अनुशंषा बिना नागरिक उड्डयन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये की गई थी। अतः नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण नहीं लिया जावे।3. वाटर टैंक व एसटीपी के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट बाबत जविप्रा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से ली गई रिपोर्ट के अनुसार अग्नि सुरक्षा हेतु 150 किलो लीटर तथा एसटीपी के	

			<p>लिए 75 किलो लीटर आवश्यक बताया गया है तथा पेयजल इत्यादि आवश्यकताओं को देखते हुए 400 किलो लीटर की अनुमति वास्तुविद की रिपोर्ट के आधार पर प्रदान की जावे।</p> <p>4. आवेदक द्वारा सामने के सैटबैक में अर्थ फिलिंग क्षेत्र को पूरी तरह से दिवारों से पैक कर दिया है एवं इसे भविष्य में किसी रूप में उपयोग में नहीं लिये जाने हेतु अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत कर दी गई है अतः अनुज्ञेय की जावे।</p> <p>5. पूर्व में अनुमोदित भवन मानचित्र जारी किये जाते समय अग्नीसुरक्षा का प्रमाण पत्र आवेदक से लिया जा चुका है एवं संशोधित मानचित्रों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है अतः पूर्व में प्रस्तुत किये गये अपापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।</p>
3.	89.3	<p>भूखण्ड संख्या-4, इन्द्रा प्लेस मालवीय नगर के एमएसएल स्तर के संबंध में निर्णय बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा श्री गौरव बरडिया को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि आवेदक को जविप्रा द्वारा एमएसएल लेवल 408 अंकित कर नागरिक उड्डयन विभाग की अनापत्ति बाबत पत्र जारी किया गया था जबकि आवेदक द्वारा अपने स्तर पर वर्तमान में सर्वे ऑफ इण्डिया से एमएसएल हेतु पुनः सर्वे किये जाने हेतु न्दिदेवन किया था। सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा एमएसएल 397.45 मीटर का पत्र जारी किया गया है। इस प्रकार एमएसएल लेवल में लगभग 10.0 मीटर का अंतर सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा अपने पत्र में अंकित किया है अतः सर्वे ऑफ इण्डिया को पत्र लिखा जावे कि वे इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें एवं एमएसएल लेवल पारित होने के कारण भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें।</p> <p>सर्वे ऑफ इण्डिया का अलग से पत्र प्रेषित किया</p>

			<p>जावे जिसमें सम्पूर्ण जयपुर के लेटेस्ट सर्वे प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जावे जिसमें भविष्य में एमएसएल लेवल दिये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।</p> <p>प्रश्नगत प्रकरण में सर्वे ऑफ इण्डिया से स्पष्ट स्थिति प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।</p>
4.	89.4	<p>पुनर्गठित भूखण्ड पुराना गहलोट नर्सिंग होम व एन.-1 अपेक मॉल के पास में व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सहायक नगर नियोजक जोन-3 व उपायुक्त जोन-3 द्वारा उपान्तरण/रूपान्तरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई। समिति द्वारा श्री एन. के. गुप्ता व रामबाबू गुप्ता को सुना गया। चूंकि भवन मानचित्र समिति(बीपी) की 71वीं बैठक दिनांक 26-27.08.2008 में सशर्त भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया था एवं तत्समय अनुमोदन के संदर्भ में आवेदक को सूचित कर दिया गया था। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 18.03.2008 में भूमि उपान्तरण का निर्णय भी लिया जा चुका था, जिसके अनुक्रम में आवेदक द्वारा रूपान्तरण शुल्क लगभग 1 करोड रूपये जमा भी करवा दिये गये थे लेकिन जविप्रा के स्तर पर उपान्तरण/रूपान्तरण किये जाने में लगभग डेढ वर्ष का समय लगा एवं इस अंतराल में आवेदक द्वारा बेसमेंट व भूतल का निर्माण मौके पर किया गया। पूर्व में तत्कालीन निदेशक (आयोजना) द्वारा दी गई राय पर भी चर्चा की गई। पूर्व में तत्कालीन निदेशक (आयोजना) द्वारा अन्य प्रकरण में दिनांक 10.04.2007 के पत्र द्वारा जो राय दी गई थी उसकी पुष्टि भी तत्समय राज्य सरकार से प्राप्त की गई थी। अतः निर्णय लिया गया कि समस्त तथ्यों के आधार पर संबंधित प्रकरण में भी राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जावें एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार भवन मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।</p>

5.	89.5	<p>भूखण्ड संख्या 1/63, चित्रकूट योजना जयपुर के निर्मित व प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक द्वारा भूतल, गैरेज व पोर्च का निर्माण बिना अनुमति प्राप्त किये बिना किया गया है एवं पार्श्व व पृष्ठ सैटबैक में वायलेशन है जिसे भवन नियमबद्धता/ नियमतिकरण विनियम 1989 के अनुसार नियमित कर शास्ति ली जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।</p>
6.	89.6	<p>खसरा नम्बर 521/648 (पार्ट) निवारू रोड जयपुर में रिटेल आउटलेट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन की रिपोर्ट अनुसार खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण की है जबकि प्रश्नगत प्रकरण में लीजडीड व साईट प्लान जविप्रा द्वारा जारी है। जोन द्वारा त्रुटिवश 90बी के आधार पर खातेदारी जविप्रा के पक्ष में होने की रिपोर्ट की गई है जो सही नहीं है अतः आवेदक का स्वामित्व लीजडीड के आधार पर उचित है। 2. कलेक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट की अनापत्ति एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी जयपुर नगर निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।</p>
7.	89.7	<p>भूखण्ड संख्या सी-सी-1, त्रिवेणी नगर सी डी ब्लॉक ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा श्री मनीष अग्रवाल व भूपेन्द्र अग्रवाल को सुना जाकर निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र में पब्लिक पार्किंग हेतु 15 फीट व 10 फीट चौड़ी भू-पट्टी योजना में दर्शित की गई है</p>

			एवं आवेदक द्वारा भवन विनियम के अन्तर्गत अपेक्षित पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर ही प्रस्तावित की गई है। अतः प्रस्तावित भवन मानचित्रों को अनुमोदित किया जावे।
8.	89.8	भूखण्ड संख्या सी-सी-2, त्रिवेणी नगर सी डी ब्लॉक ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा श्री मनीष अग्रवाल व भूपेन्द्र अग्रवाल को सुना जाकर निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र में पब्लिक पार्किंग हेतु 15 फीट व 10 फीट चौड़ी भू-पट्टी योजना में दर्शित की गई है एवं आवेदक द्वारा भवन विनियम के अन्तर्गत अपेक्षित पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर ही प्रस्तावित की गई है। अतः प्रस्तावित भवन मानचित्रों को अनुमोदित किया जावे।
9.	89.9	भूखण्ड संख्या सी-सी-3, त्रिवेणी नगर एबी ब्लॉक ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा श्री मनीष अग्रवाल व भूपेन्द्र अग्रवाल को सुना जाकर निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र में पब्लिक पार्किंग हेतु 15 फीट व 10 फीट चौड़ी भू-पट्टी योजना में दर्शित की गई है एवं आवेदक द्वारा भवन विनियम के अन्तर्गत अपेक्षित पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर ही प्रस्तावित की गई है। अतः प्रस्तावित भवन मानचित्रों को अनुमोदित किया जावे।
10.	89.10	भूखण्ड संख्या सी-सी-4, त्रिवेणी नगर एबी ब्लॉक ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा श्री मनीष अग्रवाल व भूपेन्द्र अग्रवाल को सुना जाकर निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र में पब्लिक पार्किंग हेतु 15 फीट व 10 फीट चौड़ी भू-पट्टी योजना में दर्शित की गई है एवं आवेदक द्वारा भवन विनियम के अन्तर्गत अपेक्षित पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर ही प्रस्तावित की गई है। अतः प्रस्तावित भवन मानचित्रों को अनुमोदित किया जावे।
11.	89.11	भूखण्ड संख्या सी-सी-5, त्रिवेणी नगर सी डी ब्लॉक ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा श्री मनीष अग्रवाल व भूपेन्द्र अग्रवाल को सुना जाकर निर्णय लिया गया कि

		के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	योजना मानचित्र में पब्लिक पार्किंग हेतु 15 फीट व 10 फीट चौड़ी भू-पट्टी योजना में दर्शित की गई है एवं आवेदक द्वारा भवन विनियम के अन्तर्गत अपेक्षित पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर ही प्रस्तावित की गई है। अतः प्रस्तावित भवन मानचित्रों को अनुमोदित किया जावे।
12.	89.12	भूखण्ड संख्या सी-सी-6, त्रिवेणी नगर सी डी ब्लॉक ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा श्री मनीष अग्रवाल व भूपेन्द्र अग्रवाल को सुना जाकर निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र में पब्लिक पार्किंग हेतु 15 फीट व 10 फीट चौड़ी भू-पट्टी योजना में दर्शित की गई है एवं आवेदक द्वारा भवन विनियम के अन्तर्गत अपेक्षित पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर ही प्रस्तावित की गई है। अतः प्रस्तावित भवन मानचित्रों को अनुमोदित किया जावे।
13.	89.13	खसरा नम्बर 416, फूलकुंज तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर के आवासीय प्लेटस के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा श्री शरद मिश्रा एवं उनके वास्तुविद अशोक मिश्रा को सुना जाकर निम्न निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 23.10.2009 में प्रस्तावित संशोधित मानचित्र अनुमोदन की अनुशंषा पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश पत्र क्रमांक प.3(893)नवि/3/08 दिनांक 08.10.2008 के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए जारी किये है। अतः संशोधित मानचित्रों में तकनीकी विश्लेषण पूर्व विनियमों के आधार पर किये जावे। 2. मौके पर उपलब्ध कम भूमि पर प्रस्तावित मानचित्रों को अनुमोदित किये जावे। 3. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 4. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण


			<p>पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके भवन मानचित्रों के संबंध में 15.0 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र सर्वप्रथम जारी कर दिये जावे तथा समस्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सम्पूर्ण ऊँचाई के लिए भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावे, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।</p>
--	--	--	---

आयुक्त महोदय की अनुमति निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर भी विचार विमर्श किया गया।

14.	89.14	<p>भूखण्ड संख्या 1-2 योजना दुर्गा विहार टोंक रोड, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निर्णय निम्न निर्णय लिया गया। चूँकि भवन विनियम 2000 के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 825.18 वर्ग मीटर के अनुसार सैटबैक सामने 9.0 मीटर, पार्श्व-1, पार्श्व-2 व पृष्ठ में 4.5 निर्धारित है। अतः भवन विनियमानुसार सैटबैक रखवाये जाकर संशोधित मानचित्र लिये जावे।</p>
15.	89.15	<p>पुनर्गठित भूखण्ड संख्या ए-13 व ए-37, हनुमान नगर, खालीपुरा रोड, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक के प्रतिनिधि श्री गुरप्रीत सिंह व वास्तुविद श्री अशोक मिश्रा को सुना गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट प्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।</p>

16.	89.16	<p>पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 191 से 201, नेमी नगर, वैशाली नगर जयपुर के प्रस्तावित आवासीय प्रलेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक के प्रतिनिधि एवं वास्तुविद श्री अशोक को सुना गया, विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा जारी पुनर्गठित आदेश में अनुज्ञेय एफएआर 1.67 (1.8 शुल्क सहित) उल्लेखित किया गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठित भूखण्डों की स्वीकृति पत्र दिनांक 28.06.2008 में प्रदान की गई जिसमें पुनर्गठन के कारण बढे हुए एफएआर हेतु नियमानुसार राशि लिये जाने उल्लेख है। स्वतंत्र आवासीय भूखण्ड में भवन विनियमानुसार अधिकतम एफएआर 1.2 अनुज्ञेय है अतः एफएआर 1.2 से अधिक प्रस्तावित एफएआर 1.657 के लिए अतिरिक्त एफएआर की राशि ली जावे। 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेंगे।</p>
17.	89.17	<p>खसरा नम्बर 1001, 1002 मिन. 1003मिन., 1073 मिन, 1074मिन, योजना दांतली, तहसील सांगानेर, जयपुर के उपविभाजन एवं प्रस्तावित इंजिनियरिंग कोलेज के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक श्री कालू राम बागडिया एवं वास्तुविद श्री पुष्पक पंडित को सुना जाकर निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक को भूखण्ड संख्या 1 का 36275.19 वर्ग मीटर का एक पट्टा जारी किया गया था, आवेदक द्वारा इंजिनियरिंग कालेज हेतु क्षेत्रफल 18105.81 वर्ग मीटर का उपविभाजन चाहा गया है एवं प्रस्तावित मानचित्र भी उपविभाजित क्षेत्रफल 18105.81 वर्ग मीटर के प्रस्तुत किये गये हैं। उपविभाजित भाग में पूर्व


		<p>में जारी स्थल मानचित्रानुसार सैटबैकस व अन्य पैरामीटर्स रखे जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. पार्किंग 0.66 ईसीयू कम प्रस्तावित है मौके पर पर्याप्त खुला स्थल उपलब्ध है अतः पार्किंग को संशोधित करवाया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। <p>उप विभाजन व निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।</p>
18.	<p>89.18 खसरा नम्बर 103, 102/433 ग्राम झालाणा मालवीय राष्ट्रीय तकनीक संस्थान के सामने जे. एल.एन मार्ग पर व्यावसायिक भवन मानचित्र के अधिवास प्रमाण पत्र बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा श्री रविन्द्र सिंह प्रोजेक्ट मैनेजर व श्री राठोड को सुना जाकर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मौके पर गार्ड रूम 9.9 वर्ग मीटर निर्मित किया गया है जबकि भवन विनियम के अनुसार 6.25 वर्ग मीटर अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि वर्तमान में 8 गार्ड्स प्रतिस्थापित हैं जिनके लिए भवन विनियमानुसार 6.25 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल काफी कम है। अतः वर्तमान में गार्ड्स की संख्या व भविष्य में गार्ड्स की संख्या में वृद्धि होने के कारण उन्हें 9.9 वर्ग मीटर का गार्ड रूम अनुज्ञेय किया जावे, जिसकी स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई। 2. सैटबैक क्षेत्र में ट्रान्सफार्मर व जनरेटर लगभग 60.0 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किये गये है जबकि ट्रान्सफार्मर व जनरेटर हेतु सैटबैक में 20.0 वर्ग मीटर क्षेत्र की छूट देय है। आवेदक द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है कि वर्तमान में ट्रान्सफार्मर व जनरेटर विद्युत विभाग की



			<p>आवश्यकताओं के अनुरूप मौके पर स्थापित किये गये है अतः उन्हें 60.0 वर्ग मीटर क्षेत्र ट्रान्सफार्मर व जनरेटर हेतु अनुज्ञेय किये जावे जिसे, समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>3. बेसमेंट द्वितीय में इलेक्ट्रिक पैनल रूम 45.0 वर्ग मीटर क्षेत्र में विद्युत विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थापित किया गया है तथा इसे एफएआर में शामिल कर लिया गया है जो अनुज्ञेय सीमा में है जिसकी स्वीकृति समिति द्वारा दी गई।</p> <p>अतः अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावे।</p>
19.	89.19	<p>खसरा नम्बर 539, ग्राम सुखपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर पर प्रस्तावित एचपीसीएल ऑफिस बिल्डिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>भवन मानचित्र समिति के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा श्री जे.एस. प्रसाद उप महाप्रबन्धक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं वास्तुविद श्री किशन खांडा को सुना जाकर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड अवाप्तिशुदा है तथा जिसके संबंध में जमाबंदी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है अतः जोन से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व रिपोर्ट व खसरा सुपर इम्पोजिशन प्राप्त कर लिया जावे। प्रस्तावित मानचित्र भवन विनियम अनुसार होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किया जावे।</p>
20.	89.20	<p>गृह विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.14(21) गृह-9/2009 दिनांक 13.08.2009 के संबंध में।</p>	<p>समिति द्वारा गृह विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.14(21) गृह-9/2009 दिनांक 13.08.2009 द्वारा जारी आदेश के क्रम में वर्णित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया। उल्लेखित बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि भवन मानचित्र अनुमोदन से संबंधित प्रकरण में संबंधित विभाग से अनापत्ति या राया लिया जाना आवश्यक होगा। वस्तुस्थिति को देखते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही से भवन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया/निस्तारण में विलम्ब होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जारी आदेश के बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए संबंधित विभाग से जिन पहलुओं</p>

			<p>पर रोफटी/ रिक्यूरिटी बिन्दुओं पर ध्यान रखा जाना है, उन पर गाइड लाईन प्राप्त कर प्रस्तावित निर्माण/निर्माणाधीन भवन के निर्माणकर्ताओं को निर्देशों की पालना करने हेतु सूचित किया जावे ताकि भवन मानचित्र बनाते समय उसकी अनुपालना सुनिश्चित हो सके। इस बाबत् यह निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही I.G. Range, Jaipur को पत्र लिखा जाए।</p>	
--	--	--	---	--

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


11/11/10
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति(बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 89 वीं बैठक दिनांक 21.12.2009 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी:-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | श्री सुधांशु पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. | श्री एच. एस. संवेती, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 4. | श्रीमती सुचि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन व एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 5. | श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त ((भूमि एवं बीआरटीएस), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 6. | श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 7. | श्रीमति लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा, जयपुर | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, उप महानिरीक्षक, पुलिस जविप्रा, जयपुर।
2. श्री गहेन्द्र खींची, उपायुक्त जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री हनुमान मल ढांका, उपायुक्त जोन-3, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी-बीपी), जविप्रा, जयपुर

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी- 01

दिनांक : 01/11/10

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन-....., जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)